FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

चैनाराम वगैरह .... बनाम .... डूंगराराम वगैरह

किस्म मुकदमा .... राजस्व आवेदन .... नं. 349/19 .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/12/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/1/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
13/01/2020	प्रार्थी वकील उप. / विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये रजिस्टर्ड एडी भेजे गये, जिनकी एडी अभी तक पुनः अप्राप्त, श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 11/02/2020 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:56:04 IST
Reason: SelfAttested

11.2.2020 प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों को पूर्व में राजीनामे हेतु भेजे गये जिनको करीब एक माह (30 दिन) से अधिक हो चुका है लेकिन विप्रार्थीगण की ओर से कोई अधिवक्ता या स्वयं अनुपस्थित रहने से उनके (विप्रार्थीगण) के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी प्रार्थी वकील ने बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत लगते-लगते आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच बनी पुरानी मादों व डोलों के आंधियां होने पर बिखर जाते है तथा वर्षात होने पर दोनों पक्षों के बीच मेडों धोरों व कब्जा-काश्त को लेकर विवाद रहता है तथा अपने मेडों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने खेतों की पक्की पैमाइश करवाना आवश्यक है इसलिये प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइश आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की पैमाइश मौके पर शुरू अमल करवा कर पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसला शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर होवे।

[illegible]
11.2.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:36:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/2020/ 43 दिनांक– 11/02/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
चैनाराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी पानादेवड़ा खारापार		उगराराम पुत्र रूपाराम वगैरा निवासी पानादेवड़ा खारापार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 349/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पानादेवड़ा पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 118/25, 123/32 रकबा कमशः 14.12, 56.10 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

विवेक व्यास

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/20.20/ 44 to 48 दिनांकः– 11/02/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चैनाराम पुत्र पूनमाराम
4. विप्रार्थीगण उगराराम पुत्र रूपाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

विवेक व्यास 2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:56:04 IST
Reason: SelfAttested